न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

1/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा/2018/1913

दिलीप आत्मज कन्हैयालाल जाट

निवासी वायपास रोड नरसिहपुर तह. व जिला नरसिहपुर ...आवेदक

बनाम

अनीता प्रजापति आत्मज श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति

साकिन सिविललाईन शंकराचार्य कंदेली नरसिहपुर

तहसील व जिला नरसिहपुर ...अनावेदक

श्री लखनसिंह धाकड़ अ. द्वारा आज दि. 20/03/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 03/04/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

आवेदक वर्तमान निगरानी राजस्व मामला क्रमांक 3अ/70 वर्ष 2013-14 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार नरसिहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/1/2018 में पारित अंतरिम आदेश से पीड़ित होकर निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
20/03/18

निगरानी के तथ्य

1:- यह कि अनावेदक/आवेदिका अनिता प्रजापति द्वारा धारा 250 म. प्र.भू.रा.सं. का आवेदन पत्र दिनांक 15/10/2012 में प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि उसकी भूमि मौजा नरसिहपुर नं.व. 278 प.ह.नं. 17 तहसील व जिला नरसिहपुर में स्थित भूमि खसरा नबंर 230/3 रकवा 0.839 हेक्टेयर की मालिक काविजदार एवं आवेदिका द्वारा नाप दिनांक 20/6/2009 में कराया था जिसमें सीमांकन दौरान रकवा 0.180 हेक्टेयर पर अनावेदक दिलीप का अनाधिकृत कब्जा पाया गया एवं उपरोक्त जबरन अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका रा.प्र.क्रमांक 3अ/70 वर्ष 13-14 दर्ज किया गया था जिसमें अनावेदक दिलीप द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि आवेदिका अनीता प्रजापति द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 21/3/96 से विक्रेता रामनारायण से खसरानबंर 230/2 मे से उपरोक्त भूमि क्रय की गई थी जिसमें पूर्व दिशा में दिलीपसिंह की जमीन लिखी हुई है तथा विक्रीत भूमि में रास्ता कुंआ, मकान विक्रय नहीं किया गया है तथा वर्तमान आवेदन पत्र 2 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत किया गया है जो राजस्व न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है उपरोक्त मामले में प्रारम्भिक आपत्ति को सुरक्षित रखते

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2018/1913

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की आपत्ति की गई थी, जिसका निराकरण आदेश दिनांक 08.11.2017 द्वारा किया जा चुका है एवं पुन: इस प्रकरण की आपत्ति की पुनरावृत्ति किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया है। जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	